

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 12.2009
12 DEC 2009

क्रमांक एफ 7-22/2009/12, भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा खनि रियायत के प्रकरणों के निराकरण में हो रहे विलंब को कम से कम करने तथा भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय द्वारा स्टील सेक्टर के प्रकरणों पर विभिन्न विभागों के मध्य आवश्यक तालमेल स्थापित कर आवश्यक अनुमति/अनुशंसा समय-सीमा में प्राप्त करने की दृष्टि से Coordination-cum-Empowered Committee का गठन किया है ।

2. भारत सरकार, खान मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा यह चाहा गया है कि राज्य स्तर पर भी खनिज रियायत के प्रकरणों का तथा स्टील सेक्टर से संबंधित प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण हेतु अन्य विभागों से समय-सीमा में आवश्यक अनुमति/अनुशंसा सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य स्तरीय Coordination-cum-Empowered Committee का गठन किया जावे ।

3. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में राज्य स्तरीय Coordination-cum-Empowered Committee का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

(1)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	-	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वन विभाग	-	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
(4)	सचिव, राजस्व एवं पुर्नवास विभाग	-	सदस्य
(5)	सचिव, उद्योग विभाग	-	सदस्य
(6)	सचिव, ऊर्जा विभाग	-	सदस्य
(7)	सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय के नामांकित प्रतिनिधि	-	सदस्य
(8)	सचिव, खनिज साधन विभाग	-	संयोजक
(9)	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म	-	सदस्य सचिव

//2//

2. यह राज्य स्तरीय Coordination-cum-Empowered Committee खनिज रियायत के तथा स्टील सेक्टर से संबंधित प्रकरणों के समयावधि में निराकरण के लिए भारत सरकार, खान मंत्रालय की मंशा के अनुरूप कम से कम प्रत्येक 03 माह में बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु कार्यों की समीक्षा करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/12/09
(संजय कनेकने)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 2-22/2009/12,

रायपुर, दिनांक 11.12.2009

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक F.No. 7/35/2009 M.IV दिनांक 7.8.2009 के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
2. सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 15(10)/2005-आरएम-1(Vol-9), दिनांक 19.6.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं राज्य स्तरीय समिति में प्रतिनिधि नामांकित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप-सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 7/35/2009 M.IV दिनांक 6.8.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ रायपुर। कृपया उक्त कमेटी की बैठक हेतु निर्धारित अवधि में एजेन्डा तैयार करने एवं बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11/12/09
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, 31 MAR 2011 दिनांक

क्रमांक एफ 7-22/2009/12(1) राज्य शासन एतद् द्वारा श्री व्ही. के. मिश्रा, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिये रेल्वे, कस्टम एवं शिपिंग के अधिकारियों के समन्वयन एवं सहयोग हेतु छत्तीसगढ़ शासन की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त करता है।

(संजय कनकरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

क्रमांक एफ 7-22/2009/12(1)

रायपुर, 31 MAR 2011 दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 7/97/2010-M-IV दिनांक 19.01.2011 के संदर्भ में।
2. संयुक्त सचिव, (कस्टम) नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, (पोर्ट्स) जहाजरानी मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट भवन नई दिल्ली।
4. एडवाइजर EDTT/S, रेल मंत्रालय, रेल भवन नई दिल्ली।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर।
6. श्री व्ही. के. मिश्रा, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(संजय कनकरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

"परिशीष्ट:-

537

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 17 SEP 2010

क्रमांक एफ 7-22/2009/12, भारत सरकार, खान मंत्रालय की Central Coordination-cum-Empowered Committee की तृतीय बैठक दिनांक 18.06.2010 में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय Coordination-cum-Empowered Committee में निम्नानुसार प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है:-

1. सचिव, भारत सरकार, रेल मंत्रालय अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि.
2. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि.
3. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कस्टम, राजस्व विभाग) अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि.
4. सचिव, भारत सरकार, जहाजरानी मंत्रालय अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि.
5. महानिरीक्षक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि.
6. कन्ट्रोलर जनरल, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि.

Sanjay
17/9/10
(संजय कनकन)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 7-22/2009/12,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कस्टम, राजस्व विभाग) नई दिल्ली।
5. सचिव, भारत सरकार जहाज रानी मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. महानिरीक्षक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता।
6. कन्ट्रोलर जनरल, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर।

/
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग